



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

वर्ष 2022-23 के लिए  
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन  
अधिनियम, 2003 के अनुपालन  
पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

संघ सरकार  
आर्थिक कार्य विभाग  
(वित्त मंत्रालय)  
2025 की प्रतिवेदन संख्या 3



वर्ष 2022-23 के लिए  
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन  
अधिनियम, 2003 के अनुपालन  
पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

संघ सरकार  
आर्थिक कार्य विभाग  
(वित्त मंत्रालय)  
2025 की प्रतिवेदन संख्या 3



## विषयवस्तु

शीर्षक	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	iii
कार्यकारी सारांश	v
अध्याय 1: परिचय	1
अध्याय 2: एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धियां	7
अध्याय 3: प्रकटीकरण और पारदर्शिता	33
अनुलग्नक	43
शब्दावली	55



## प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 की धारा 7ए के अंतर्गत बनाए गए नियम 8 के अनुसार, एफआरबीएम अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा करने तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 से ऐसी समीक्षा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

यह मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन पर सीएजी का आठवां प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन एफआरबीएम लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों की जांच करता है और राजकोषीय नीति वक्तव्यों में किए गए अनुमानों और प्रकटीकरण विवरणों में जानकारी की पर्याप्तता के साथ वास्तविकता की तुलना करता है।

प्रतिवेदन में अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा से उत्पन्न निष्कर्ष शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। वित्तीय वर्ष 2022-23 से पहले की अवधि से संबंधित मामले, जिनका राजकोषीय संकेतकों पर प्रभाव पड़ता है, को भी प्रासंगिक रूप से शामिल किया गया है।





## कार्यकारी सारांश



## कार्यकारी सारांश

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 को केन्द्र सरकार के घाटे और उसके परिणामस्वरूप ऋण को मध्यम अवधि में एक स्थायी स्तर तक कम करने के लिए एक विधायी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, ताकि राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत समानता और दीर्घकालिक वृहद-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

वर्तमान प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की गई वार्षिक समीक्षा है।

2018 में एक संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार के ऋण और सामान्य सरकारी ऋण में कमी का लक्ष्य सात वर्षों की अवधि में प्राप्त किया जाना था। लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत और केंद्र सरकार के ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत तक सीमित करना है।

हमारी समीक्षा से पता चला है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण पिछले दो वर्षों में लगातार कम हुआ है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 57.93 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है। हालांकि, कुल ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹17.48 लाख करोड़ या 12.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण आंतरिक ऋण का संचय है।

प्रतिवेदन में सुधार के संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है। उदाहरण के लिए, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर - केंद्र सरकार के ऋण का एक घटक) के विवरण में अपूर्णता। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में, कथित तौर पर करों के रूप में ₹21.30 लाख करोड़ की राशि जुटाई गई थी, लेकिन अभी तक वसूल नहीं की गई थी (विवरण डी1 कर जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया)। इस अप्राप्त राशि में पिछले वर्ष की तुलना में ₹5.47 लाख करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें से ₹5.28 लाख करोड़ विवाद में नहीं थे। डी2 विवरण (ब्याज का बकाया) में कुछ पारदर्शिता के मुद्दे देखे गए, जहाँ आंकड़े संघ सरकार के वित्तीय लेखों के आंकड़ों से भिन्न थे। साथ ही, डी4 विवरण में बताई गई वित्तीय परिसंपत्तियों (विदेशी सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों

को ऋण) की राशि, प्राप्त बजट में भिन्न थी। अंत में, हमने अर्धवार्षिक विवरण (एच1, एच2) और मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण में उपयोग किए गए विभिन्न राजकोषीय मापदंडों के बजट अनुमान आंकड़ों में वार्षिक वित्तीय विवरण 2022-23 से भिन्नताएं पाई।

# અધ્યાય 1

## પરિચય



## अध्याय

## 1

## परिचय

## 1.1 एफआरबीएम अधिनियम

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियम और अधिनियम के तहत नियम 05 जुलाई 2004 को लागू किए गए थे। 2003 में मूल अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद से, इसे 2004, 2012, 2015 और 2018 में चार बार संशोधित किया गया है। 2003 के बाद मूल अधिनियम और नियमों में किए गए संशोधनों के मुख्य बिंदु **अनुलग्नक 1.1** में दिए गए हैं।

अधिनियम का उद्देश्य दीर्घकालिक वृहद आर्थिक स्थिरता और इन्टर जेनरेशनल समानता सुनिश्चित करना है। एफआरबीएम संशोधन अधिनियम, 2018 में निर्धारित लक्ष्य और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागू लक्ष्य इस प्रकार हैं:

केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक यह सुनिश्चित करेगी कि:

- ❖ सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

[धारा 4(1)]

“सामान्य सरकारी ऋण” को अंतर-सरकारी देनदारियों<sup>1</sup> को छोड़कर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों<sup>2</sup> के ऋण के कुल योग के रूप में परिभाषित किया गया है।

- ❖ केन्द्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो।

[धारा 4(1)]

<sup>1</sup> भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत, "कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है, यदि भारत सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य को दिए गए ऋण का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है या जिसके संबंध में भारत सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गारंटी दी गई है"। तदनुसार, भारत सरकार निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्रत्येक राज्य सरकार के लिए ऋण की वार्षिक सीमा निर्धारित करती है।

<sup>2</sup> सरकार, राज्य और संघ एक दूसरे के प्रति क्या दायित्व रखते हैं?

- ❖ किसी भी वित्तीय वर्ष में भारत की संचित निधि की सुरक्षा जमा पर किसी भी ऋण के संबंध में **सकल घरेलू उत्पाद के डेढ़ प्रतिशत** से अधिक अतिरिक्त गारंटी न देना,

[धारा 4(1)]

- ❖ वित्त मंत्री अर्ध-वार्षिक आधार पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करेंगे तथा ऐसी समीक्षाओं के परिणाम संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे।

[धारा 7(1)]

- ❖ यदि अर्धवार्षिक समीक्षा (अर्थात् सितंबर के अंत में) के परिणाम से पता चलता है कि (i) कुल गैर-ऋण प्राप्तियां बजट अनुमानों (बीई) के 40 प्रतिशत से कम हैं, और (ii) राजस्व घाटा (आरडी)<sup>3</sup> और राजकोषीय घाटा (एफडी)<sup>4</sup> वर्ष के लिए बजट अनुमान के 70 प्रतिशत से अधिक है, तो वित्त मंत्री पहली छमाही के अंत के तुरंत बाद सत्र के दौरान संसद में एक विवरण देंगे जिसमें सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा दिया जाएगा।

[नियम 7]

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, संसद के दोनों सदनों के समक्ष मध्य-वर्षीय (अर्थात् सितंबर के अंत में) समीक्षा प्रस्तुत की गई। एच1 विवरण में प्रस्तुत विस्तृत परिणाम **अनुलग्नक 1.2** में दिया गया है।

- ❖ केंद्र सरकार 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक कम करेगी। हालांकि, अधिनियम में कोई और संशोधन न होने के कारण, सरकार ने वित्तीय वर्ष **2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से कम राजकोषीय घाटे के स्तर को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय समेकन के एक व्यापक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है**, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में पेश किया गया और वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मध्यावधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरणों में भी दोहराया गया है।

<sup>3</sup> "राजस्व घाटा" से तात्पर्य राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर से है।

<sup>4</sup> "राजकोषीय घाटा" से तात्पर्य भारत की समेकित निधि से एक वित्तीय वर्ष के दौरान निधि में कुल प्राप्तियों पर कुल संवितरण के आधिक्य से है, जिसमें ऋण प्राप्तियां और ऋण चुकौती शामिल नहीं हैं।



## 1.2 एफआरबीएम अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित अन्य दायित्व

केन्द्र सरकार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष निम्नलिखित बातें रखेगी:

- ❖ मध्यम अवधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति (एमटीएफपी सह एफपी) विवरण (फॉर्म एफ1 में):

*इस विवरण में राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन साल का रोलिंग लक्ष्य शामिल है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा <sup>5</sup>, कर राजस्व और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण। इसमें अंतर्निहित धारणाएँ <sup>6</sup> भी शामिल हैं।*

- ❖ मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण (फॉर्म एफ2 में) - एमईएफ विवरण :

*इसमें बजट का अर्थव्यवस्था में विकास के साथ अन्तर्क्रिया तथा अंतर्निहित मान्यताओं पर प्रकाश डाला गया है।*

- ❖ मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा (एमटीईएफ) विवरण (फॉर्म एफ3 में):

*यह विवरण (निर्धारित फॉर्म एफ 3 में) अंतर्निहित मान्यताओं और जोखिमों के साथ-साथ निर्धारित व्यय संकेतकों के लिए तीन साल का रोलिंग लक्ष्य प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 को छोड़कर, सरकार इस विवरण को संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रही है। इस तथ्य को सरकार ने एमटीएफपी 2023-24 में स्वीकार किया था, हालांकि कोई कारण नहीं बताया गया था।*

**[धारा 3(1)]**

- ❖ केन्द्र सरकार कुछ विशेष<sup>7</sup> परिस्थितियों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण नहीं लेगी।

**[धारा 5(1)]**

- ❖ केन्द्र सरकार अपने लेखों का मासिक विवरण तैयार करेगी।

**[धारा 7(1ए)]**

<sup>5</sup> "प्राथमिक घाटा" का अर्थ है राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटाकर प्राप्त राशि।

<sup>6</sup> इसमें राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित स्थिरता का आकलन; उत्पादक परिसंपत्तियों को जुटाने के लिए बाजार ऋण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग भी शामिल है।

<sup>7</sup> नकद प्राप्ति, प्राथमिक निर्गमों के अभिदान तथा उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय आपदा आदि के आधार पर नकद सवितरण की अस्थायी अधिकता को पूरा करना, तथा द्वितीयक बाजार में खुले बाजार परिचालन को पूरा करना।

- ❖ बजट के साथ संसद में रखे जाने वाले नियमों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, गारंटी, परिसंपत्ति रजिस्टर और वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता के संबंध में पांच प्रकटीकरण फॉर्म (डी-1 से डी-5)<sup>8</sup> निर्धारित किए गए हैं। **[नियम 6]**

### 1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और अधिदेश

धारा 7ए<sup>9</sup> (2018 संशोधन अधिनियम) को एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए, तो उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से भारत के सीएजी को अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा करने का अधिकार है। समीक्षा में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- ❖ अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की उपलब्धि और अनुपालन का विश्लेषण, मध्यम अवधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण और मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क विवरण।
- ❖ अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संबंध में प्राप्तियों, व्यय और वृहद आर्थिक मापदंडों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण।
- ❖ अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रभाव डालने वाले राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों या देनदारियों के वर्गीकरण से संबंधित टिप्पणियां।
- ❖ केंद्र सरकार द्वारा अपने राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रकटीकरणों का विश्लेषण।

<sup>8</sup> प्रकटीकरण प्रपत्र (डी1) - जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया कर राजस्व, (डी2) - गैर-कर राजस्व का बकाया, (डी3) - सरकार द्वारा दी गई गारंटी, (डी4) - परिसंपत्ति रजिस्टर और (डी5) - वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता। ये प्रकटीकरण ऐसे डेटा प्रदान करते हैं जो गारंटी को छोड़कर वित्त लेखों (नकद आधार पर तैयार किए जा रहे) में दर्ज नहीं किए जाते हैं, लेकिन राजकोषीय संकेतकों के लिए प्रासंगिक हैं।

<sup>9</sup> एफआरबीएम समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना - केन्द्र सरकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को आवश्यकतानुसार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की आवधिक समीक्षा करने का कार्य सौंप सकती है और ऐसी समीक्षाएं संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएंगी।

तदनुसार, सीएजी ने सात (7) प्रतिवेदन तैयार किये हैं (तालिका 1.1)।

**तालिका 1.1: संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत सीएजी रिपोर्टें**

क्रम सं.	सीएजी प्रतिवेदन	वित्तीय वर्ष जिससे प्रतिवेदन संबंधित है
1	2016 की प्रतिवेदन संख्या 27	2014-15
2	2017 की प्रतिवेदन संख्या 32	2015-16
3	2018 की प्रतिवेदन संख्या 20	2016-17
4	2021 की प्रतिवेदन संख्या 6	2017-18 और 2018-19
5	2022 की प्रतिवेदन संख्या 18	2019-20
6	2022 की प्रतिवेदन संख्या 32	2020-21
7	2024 की प्रतिवेदन संख्या 1	2021-22

#### 1.4 लेखापरीक्षा पद्धति

यह समीक्षा मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा की गई थी, जो एफआरबीएम अधिनियम के प्रशासन के लिए नोडल विभाग है। यह प्रतिवेदन केंद्र सरकार के वित्त लेखा (यूजीएफए) 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए क्रमिक बजट दस्तावेजों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। इसके अलावा, संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी पीएसई के प्रमाणित वार्षिक लेखों और जीडीपी आंकड़ों का विश्लेषण के लिए उपयोग किया गया है।

मंत्रालय के साथ 28 फरवरी 2024 को एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई और 26 फरवरी 2024 से 22 मार्च 2024 के बीच क्षेत्रीय लेखापरीक्षा आयोजित की गई। मसौदा प्रतिवेदन 1 मई 2024 को वित्त मंत्रालय को जारी की गई और 26 जून 2024 को आयोजित एक समापन सम्मेलन में मंत्रालय की टिप्पणियों पर उनके साथ चर्चा की गई। वर्तमान प्रतिवेदन में मंत्रालय से (जुलाई 2024) प्राप्त लिखित प्रतिक्रियाएं शामिल हैं और केंद्रीय बजट 2024-25 के विवरणों का सत्यापन और ऋण 2022-23 पर स्थिति पत्र जुलाई 2024 में संसद के समक्ष रखा गया था।

#### 1.5 आभार

हम रिकॉर्ड उपलब्ध कराने तथा इस अनुपालन लेखापरीक्षा के संचालन में सुविधा प्रदान करने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

## 1.6 प्रतिवेदन की संरचना

वर्तमान प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए एफआरबीएम (संशोधन) नियम 2018 के नियम 8 के अनुसार भारत के सीएजी द्वारा की गई वार्षिक समीक्षा है।

**अध्याय 1** में एफआरबीएम अधिनियम और नियमों के अधिदेश पर चर्चा की गई है, जबकि लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर **अध्याय 2** और **3** में चर्चा की गई है।

**अध्याय 2:** एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धियां।

**अध्याय 3:** प्रकटीकरण और पारदर्शिता।

## अध्याय 2

एफआरबीएम लक्ष्य और  
उपलब्धियां




## अध्याय 2

## एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धियां

### 2.1 केंद्र सरकार ऋण और सामान्य सरकारी ऋण

2018 में संशोधित एफआरबीएम अधिनियम में एक नई धारा 2 (एए) शामिल की, जिसमें किसी भी तारीख पर केंद्र सरकार के ऋण की अवधारणा को परिभाषित किया गया, जिसमें शामिल हैं:



इसी तरह, धारा 2(बीबी) सामान्य सरकारी ऋण को “अंतर-सरकारी देनदारियों को छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऋण का कुल योग,” के रूप में परिभाषित करती है। एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 तक केंद्र सरकार के ऋण (जीडीपी के 40 प्रतिशत तक) और सामान्य सरकारी ऋण (जीडीपी के 60 प्रतिशत तक) को सीमित करना है।


<sup>10</sup> लोक लेखा विभाग में भारत की समेकित निधि में जमा धन के अलावा अन्य सभी लोक निधि शामिल होते हैं, जो ट्रस्टी के रूप में भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त होते हैं।

### 2.1.1 केंद्र सरकार का बकाया ऋण

**वित्तीय वर्ष 2020-21 से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण लगातार कम हुआ है**

वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 (अनुलग्नक 2.1) के बीच पाँच साल की अवधि में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत<sup>11</sup> के रूप में केंद्र सरकार का ऋण पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 61.38 प्रतिशत तक बढ़ गया, फिर वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक लगातार घटकर 57.93 प्रतिशत हो गया। यह अभी भी महामारी से पहले की अवधि से अधिक है। हालाँकि, केंद्र सरकार का ऋण वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में ₹17.48 लाख करोड़ या 12.61 प्रतिशत बढ़ा। यह मुख्य रूप से इस अवधि के दौरान ₹16.12 लाख करोड़ के आंतरिक ऋण में वृद्धि के कारण था। इसके अलावा, बाहरी ऋण (₹0.90 लाख करोड़ की वृद्धि) और लोक लेखा देयता (₹0.13 लाख करोड़ की वृद्धि) के मौजूदा मूल्य में भी पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में वृद्धि के समान संकेत मिले हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक केंद्र सरकार के ऋण की राशि और उसमें घटकवार ब्यौरा नीचे तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.1: केंद्र सरकार के ऋण के घटक**




<sup>11</sup> सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिन्हें अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा खरीदा जाता है, तथा जो किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित समयावधि (जैसे एक तिमाही या एक वर्ष) में उत्पादित होती हैं। संक्षेप में, यह अर्थव्यवस्था के आकार को बताता है और ऋण स्थिरता के माप के लिए उपयुक्त आधार के रूप में उपयोग किया जाता है।



## 2021-22 से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर केंद्र सरकार के ऋण की वृद्धि दर से अधिक हो गई

नीचे तालिका 2.2 वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार के ऋण और सकल घरेलू उत्पाद में रुझान को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के बीच केंद्र सरकार के ऋण के संचय की गति जीडीपी विस्तार से कम थी, जो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था संचित ऋण को कम करने और चुकाने में सक्षम हो गई है।

**तालिका 2.2: जीडीपी और केंद्र सरकार के ऋण का रुझान**



## प्राप्ति बजट में केंद्र सरकार की देयताओं का प्रकटीकरण एफआरबीएम अधिनियम में केंद्र सरकार के ऋण की परिभाषा के अनुसार नहीं है

मध्यम अवधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरण 2023-24 (फरवरी 2023) में, सरकार ने कहा कि उसने वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार के ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 58.8 प्रतिशत से घटाकर संशोधित अनुमान 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के 57.0 प्रतिशत तक लाने की योजना बनाई है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक केंद्र सरकार के ऋण का प्रकटीकरण बाद के एमटीएफपी विवरण 2024-25 में नहीं किया गया था, लेकिन प्राप्ति बजट 2024-25 ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में केंद्र सरकार की कुल देनदारियों को ₹152.24 लाख करोड़ बताया। एफआरबीएम अधिनियम 2003 (2018 में संशोधित) में दी गई परिभाषा के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार के ऋण की हमारी गणना ₹156.13 लाख

करोड़ थी जो सकल घरेलू उत्पाद का 57.93 प्रतिशत है। अंतर नीचे तालिका 2.3 में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.3: वर्ष 2022-23 के अंत में केंद्र सरकार की देयताओं का प्राप्त बजट 2024-25 में प्रकटीकरण और लेखापरीक्षा की गणना**

(₹ लाख करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	प्राप्त बजट 2024-25	एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार लेखापरीक्षा में गणना
1	आंतरिक ऋण	130.74	130.74
2	बाहरी ऋण	4.93 (बही मूल्य पर)	7.48 (वर्तमान विनिमय दर पर)
3	अन्य देयता/ लोक लेखा देयता	16.57	16.57
4	ईबीआर	शामिल नहीं	1.38 <sup>12</sup>
5	नकद शेष	शामिल नहीं	0.04
6	केन्द्र सरकार का ऋण	152.24	156.13

### 2.1.2 सामान्य सरकारी ऋण

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, महामारी के बाद की अवधि में ऋणों में गिरावट आई पिछले पांच वर्षों में सामान्य सरकारी ऋण के संबंध में उपलब्धि और इसकी प्रवृत्ति का विश्लेषण नीचे तालिका 2.4 में किया गया है:

<sup>12</sup> यह राशि (₹1.38 लाख करोड़) व्यय प्रोफाइल 2024-25 के विवरण 27 के अनुसार है, हालाँकि व्यय प्रोफाइल 2023-24 में ₹1.39 लाख करोड़ के आंकड़े शामिल हैं, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 2.2(i) में बाद में चर्चा की गई है।

**तालिका 2.4: वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए सामान्य सरकारी ऋण, जैसा कि वर्ष 2022-23 के लिए ऋण पर स्थिति पत्र से निकाला गया है**

(₹ लाख करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	सामान्य सरकारी ऋण/देयताएं	133.03	150.99	174.07	195.97	219.23
	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)		13.50	15.29	12.58	11.87
2	केंद्र सरकार का ऋण/देयताएं	93.26	105.07	121.87	138.65	156.13
	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)		12.66	15.99	13.77	12.61
3 = (1-2)	राज्य सरकार का ऋण/देयताएं	39.77	45.92	52.20	57.32	63.10
	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)		15.46	13.68	9.81	10.10
4	सकल घरेलू उत्पाद	189.00	201.04	198.54	235.97	269.50
5	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सामान्य सरकारी ऋण/देयताएँ	70.39	75.10	87.68	83.05	81.35
6	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार का ऋण/देयताएं	49.34	52.26	61.38	58.76	57.93
7 = (5-6)	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकार का ऋण/देयताएं	21.05	22.84	26.29	24.29	23.42

स्रोत: जीडीपी-एनएसओ प्रेस विज्ञप्तियाँ दिनांक 29 फरवरी 2024 और 31 मई 2024

2018 में संशोधित एफआरबीएम अधिनियम 2003 द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2024-25 तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत तक सीमित करना था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यक्त सामान्य सरकारी ऋण वित्तीय वर्ष 2018-19 में 70.39 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 81.35 प्रतिशत

हो गया, जबकि 2020-21 में महामारी के दौरान यह 87.68 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

इसी प्रकार, राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाने वाली देनदारी (अर्थात् केंद्र सरकार के ऋणों को छोड़कर) 2020-21 तक बढ़ती रही और उसके बाद घटने लगी तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक 23.42 प्रतिशत तक पहुंच गई।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2022-23 में महामारी के बाद की अवधि के दौरान ऋणों में गिरावट अनुकूल है; हालाँकि, वास्तविक मौद्रिक संदर्भ में, यह सभी मापदंडों जैसे कि सामान्य सरकारी ऋण, केंद्र सरकार का ऋण और राज्यों के लिए देयता के लिए पूर्व-महामारी अवधि 2019-20 की तुलना में अभी भी अधिक है। इसके अलावा, राज्यों द्वारा वहन किए गए वर्ष-दर-वर्ष ऋण में मामूली वृद्धि के बावजूद वित्तीय वर्ष 2022-23 में सामान्य सरकारी ऋण में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर में लगातार गिरावट आई है।

## 2.2 अतिरिक्त बजटीय संसाधन

### संघीय बजट के व्यय विवरण में ईबीआर आंकड़ों के मिलान की आवश्यकता

मध्यम अवधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) 2019-20, में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की अवधारणा को “सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाए गए उन वित्तीय देनदारियों के रूप में पेश किया, जिनके लिए पूरे मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान केंद्र सरकार के बजट से किया जाता है”। ये ऋण केवल संबंधित संस्थाओं के लेखों में परिलक्षित होते हैं और न तो संबंधित मंत्रालय की अनुदान मांगों में दर्शाए जाते हैं और न ही वे वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस), केंद्र सरकार वित्त लेखों (यूजीएफए) और एफआरबीएम के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण विवरणों में दिखाई देते हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से सरकार ने ईबीआर की राशि को प्रकट करना शुरू कर दिया (बजट में व्यय प्रोफाइल का विवरण 27)। यह विवरण सरकारी पूर्ण सेवा बांड और राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से ऋण के माध्यम से विस्तारित वित्तीय सहायता के माध्यम से जुटाए गए ईबीआर को दर्शाता है।

हमने व्यय प्रोफाइल के विवरण 27, 2024-25 (अनुलग्नक 2.2), जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक उपलब्ध थे का विश्लेषण किया, और निम्नलिखित पाया:

- i. वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए क्रमिक विवरण 27 में प्रकट की गई राशियों के बीच असंगत भिन्नता।

❖ वित्तीय वर्ष 2022-23 (व्यय प्रोफाइल 2024-25) के लिए विवरण 27 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के बीच योजित वास्तविक ईबीआर को ₹1,37,868.60 करोड़ दिखाया गया था, जबकि उसी को (पिछले व्यय प्रोफाइल 2023-24 में) ₹1,39,287.30 करोड़ दिखाया गया था। इस प्रकार, लगातार विवरणों के बीच ₹1,418.70 करोड़ का अंतर था, लेकिन 2022-23 (व्यय प्रोफाइल 2024-25) के लिए वर्तमान विवरण 27 में इसके लिए कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया। नीचे दी गई तालिका 2.5 ईबीआर राशि का वर्ष-वार ब्यौरा और ₹1,418.70 करोड़ का परिणामी अंतर दिखाती है।

**तालिका 2.5: सरकार द्वारा जुटाई गई ईबीआर का वर्षवार ब्यौरा**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	व्यय प्रोफाइल 2022-23 के अनुसार	व्यय प्रोफाइल 2023-24 के अनुसार	मंत्रालय के जवाब के अनुसार	व्यय प्रोफाइल 2024-25 के अनुसार
2016-17	9,167.00	वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।  1,39,287.30	9,167.00	वर्षवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।  1,37,868.60
2017-18	15,095.00		15,095.00	
2018-19	65,602.10		64,192.10	
2019-20	22,006.30		22,006.60	
2020-21	26,665.10		26,656.10	
2021-22	751.80		751.80	
2022-23	-	-	शून्य	-
कुल	1,39,287.30	1,39,287.30	1,37,868.60	1,37,868.60

मंत्रालय ने (जुलाई 2024) लेखापरीक्षा को ₹1,418.70 करोड़ की अंतर राशि के लिए एक समाधान विवरण प्रदान किया, जो पिछले वर्षों के विवरण 27 में अनजाने में हुई त्रुटियों के कारण था। हालाँकि जुलाई 2024 में संसद में रखे गये केंद्रीय बजट 2024-25

में समाधान के विषय के बारे में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया था। यह अनुशंसा की जाती है कि मंत्रालय इस संबंध में व्यय प्रोफाइल 2025-26 के विवरण 27 में उचित प्रकटीकरण शामिल कर सकता है।

ii. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2024 की पिछली सीएजी प्रतिवेदन संख्या 1 में बताया गया था कि व्यय प्रोफाइल 2023-24 में शामिल ईबीआर विवरण में एनएसएसएफ से ऋण के माध्यम से विस्तारित वित्तीय सहायता का हिस्सा नहीं दिखाया गया था, जो कि पिछले वर्षों में प्रस्तुत किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, हमने यूजीएफए 2022-23 के विवरण 16 से देखा कि एमटीएनएल में एनएसएसएफ से ₹350 करोड़ का निवेश किया गया था, और यह राशि 31 मार्च 2023 तक बकाया रही। मंत्रालय ने व्यय प्रोफाइल 2024-25 (जुलाई 2024 में संसद के समक्ष रखा गया) में विवरण 27 से हटाए गए हिस्से को फिर से डाल दिया, लेकिन उल्लेख किया कि एनएसएसएफ से ऋण चुका दिए गए हैं। हालाँकि, एनएसएसएफ ऋण को यूजीएफए 2022-23 में बकाया दिखाया गया था, इसलिए इसे व्यय प्रोफाइल 2024-25 के विवरण 27 में दर्शाया जाना था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक आंकड़े दिखाए गए थे। मंत्रालय से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा थी (सितंबर 2024)।

## 2.3 ऋण स्थिरता विश्लेषण

### वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ऋण स्थिरीकरण संकेतक सकारात्मक है

ऋण स्थिरता विश्लेषण (डीएसए) एक उपाय है जो सरकार की एक निश्चित अवधि में अपने ऋण-संबंधी वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का आकलन करता है। विश्लेषण का आधार ऋण-से-जीडीपी अनुपात है। आधार यह है कि ऋण में वृद्धि अर्थव्यवस्था में वृद्धि (सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी के रूप में मापी गई) के अनुरूप होनी चाहिए। एक स्थिर राजकोषीय नीति वह है जिसमें ऋण-से-जीडीपी अनुपात लंबी अवधि तक स्थिर या घट रहा हो।

**ऋण स्थिरीकरण संकेतक** एक उपयोगी संकेतक है। धारणा यह है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक है, तो ऋण-जीडीपी अनुपात स्थिर रहने की संभावना है, बशर्ते प्राथमिक घाटे में कटौती की जाए।

❖ ऋण स्थिरीकरण सूचक = क्वांटम स्प्रेड<sup>13</sup> + प्राथमिक घाटा<sup>14</sup>

❖ ऋण स्थिरता शर्त यह बताती है कि यदि:

- ✓ ऋण स्थिरीकरण सूचक = 0, ऋण-जीडीपी अनुपात स्थिर रहेगा, या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा।
- ✓ ऋण स्थिरीकरण सूचक नकारात्मक है, ऋण-जीडीपी अनुपात बढ़ेगा।
- ✓ ऋण स्थिरीकरण सूचक सकारात्मक है, ऋण-जीडीपी अनुपात अंततः गिर जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऋण स्थिरीकरण संकेतक सकारात्मक है, जो स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक संकेतक है (तालिका 2.6)।

**तालिका 2.6: केंद्र सरकार ऋण स्थिरता संकेतकों में रुझान**

(₹ लाख करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	केन्द्र सरकार का ऋण	93.26	105.07	121.87	138.65	156.13
2	केन्द्र सरकार के ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.80	12.66	15.99	13.77	12.61
3	वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद	189.00	201.04	198.54	235.97	269.50
4	वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.59	6.37	-1.24	18.85	14.21
5	केंद्र सरकार ऋण-जीडीपी अनुपात (प्रतिशत में)	49.34	52.26	61.38	58.76	57.93
6	ऋण पर दिया गया ब्याज	5.96	6.55	7.21	8.28	9.59

<sup>13</sup> क्वांटम स्प्रेड = केंद्र सरकार का ऋण x ब्याज स्प्रेड/100

<sup>14</sup> प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान।

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
7	कुल राजस्व प्राप्तियां	18.06	19.48	18.65	24.36	27.13
8	औसत ब्याज लागत <sup>15</sup> (प्रतिशत में)	6.69	6.61	6.35	6.36	6.51
9	राजस्व प्राप्ति के लिए ऋण पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	33.00	33.62	38.66	33.99	35.35
10	लोक ऋण चुकौती	60.65	63.27	61.85	66.45	72.00
11	लोक ऋण प्राप्ति	67.58	73.01	81.63	82.49	88.65
12	लोक ऋण चुकौती से लोक ऋण प्राप्ति तक (प्रतिशत में)	89.75	86.66	75.77	80.56	81.22
13	ब्याज स्प्रेड <sup>16</sup> (प्रतिशत में)	3.90	-0.24	-7.59	12.49	7.70
14	क्वांटम स्प्रेड	3.64	-0.25	-9.25	17.32	12.02
15	प्राथमिक घाटा (-)	1.89	3.76	12.54	9.34	7.97
16	ऋण स्थिरीकरण सूचक <sup>17</sup>	1.75	-4.01	-21.79	7.98	4.05

स्रोत: संबंधित वर्ष के यूजीएफए/ जीडीपी के लिए - (एनएसओ) की दिनांक 29 फरवरी 2024 और 31 मई 2024 की प्रेस विज्ञप्तियाँ।

उपरोक्त तालिका 2.6 का आगे विश्लेषण निम्नलिखित दर्शाता है:

- ❖ केंद्र सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात वित्तीय वर्ष 2018-19 में 49.34 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 61.38 प्रतिशत तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी के 58.76 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह अनुपात घटकर 57.93 प्रतिशत रह गया। अधिनियम के तहत लक्ष्य 40 प्रतिशत है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक प्राप्त किया जाना है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोक ऋण चुकौती, लोक ऋण प्राप्तियों का 89.75 प्रतिशत थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसमें सुधार हुआ और वर्ष

<sup>15</sup> औसत ब्याज लागत = ब्याज भुगतान / पिछले वित्तीय वर्ष और चालू वर्ष का औसत बकाया ऋण x100.

<sup>16</sup> ब्याज स्प्रेड = सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (वर्तमान मूल्य) - औसत ब्याज लागत।

<sup>17</sup> ऋण स्थिरीकरण सूचक = क्वांटम प्रसार + प्राथमिक घाटा।



के दौरान चुकाया गया ऋण अधिग्रहीत ऋण का 81.22 प्रतिशत था, अतः उत्पादक व्यय हुआ और ऋण कम हुआ।

- ❖ **राजस्व प्राप्ति अनुपात में ब्याज भुगतान** सरकार की राजकोषीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह इस बात का माप है कि सरकार के राजस्व का कितना हिस्सा उसके ऋण पर ब्याज का भुगतान करने में उपयोग किया जाता है। यह अनुपात वित्तीय वर्ष 2020-21 में 38.66 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, वित्तीय वर्ष 2021-22 में घटकर 33.99 प्रतिशत हो गया और वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 35.35 प्रतिशत हो गया। सरकार ने ब्याज दायित्वों के प्रति वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान तुलनात्मक रूप से अपनी राजस्व प्राप्तियों का एक बड़ा भाग प्रयोग किया।

## 2.4 गारंटी

### वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अतिरिक्त गारंटी एफआरबीएम अधिनियम की सीमाओं के भीतर हैं

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 276 के अनुसार, केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं को गारंटी देती है, मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं या गतिविधियों पर ऋण लेने के लिए उनके व्यय को कम करने के लिए। संप्रभु गारंटी तब भी दी जाती है जब यह द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता के लिए एक पूर्व शर्त होती है। आकस्मिक देनदारियाँ होने के कारण गारंटियाँ ऋण का हिस्सा नहीं होती हैं, लेकिन चूक की स्थिति में, उनका सरकार की देनदारियों पर असर पड़ सकता है।

एफआरबीएम अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष में भारत की समेकित निधि (सीएफआई) के सुरक्षा जमा पर सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से अधिक किसी भी ऋण के संबंध में अतिरिक्त गारंटी नहीं देगी।

मध्यम अवधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरण 2024-25 (फरवरी 2024) में सरकार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में केंद्र सरकार द्वारा दी गई गारंटी ₹3.14 लाख करोड़ थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2004-05 में 3.3 प्रतिशत की तुलना में यह वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में घटकर 1.2 प्रतिशत हो गई।

वर्ष के अंत में बकाया गारंटी की वास्तविक राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹5.19 लाख करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹3.14 लाख करोड़ रह गई, जिसका कारण ₹2.61 लाख करोड़ का विलोपन था।

जिन गारंटी को हटाया गया उनमें से अधिकांश श्रेणी III की गारंटियां<sup>18</sup> (₹2.21 लाख करोड़) थीं, अर्थात् ₹1.38 लाख करोड़ (कुल: 39) जो वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित थीं और ₹0.66 लाख करोड़ (कुल: 1) जो विदेश मंत्रालय से संबंधित थीं; तथा श्रेणी-I की गारंटियां<sup>19</sup> (₹0.39 लाख करोड़) जो मुख्य रूप से वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित थीं (₹0.35 लाख करोड़, 62 गारंटियों के लिए)।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जारी की गई अतिरिक्त गारंटियां ₹0.61 लाख करोड़ या सकल घरेलू उत्पाद का 0.23 प्रतिशत थी, जो एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के तहत निर्धारित 0.5 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी। 2022-23 के दौरान जारी की गई अतिरिक्त गारंटियों (₹0.61 लाख करोड़) में से अधिकांश श्रेणी-III गारंटियां (148) थीं, जिनकी राशि ₹0.22 लाख करोड़ थी, जो वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित थीं, श्रेणी-II गारंटियां<sup>20</sup> (2) 0.15 लाख करोड़ की राशि की थीं, जो दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित थीं।

पिछले पांच वर्षों से एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त गारंटी सीमा के भीतर रही है।

**अनुलग्नक 2.3** में आगे का विवरण दिया गया है।

<sup>18</sup> श्रेणी-III गारंटियां भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋण एजेंसियों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए समझौतों के अनुसरण में दी जाती हैं, जो ऋण आदि पर मूलधन, ब्याज और/या प्रतिबद्धता शुल्क के पुनर्भुगतान और/या सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति के प्रति भुगतान के लिए दी जाती हैं।

<sup>19</sup> श्रेणी-I गारंटियां शेयर पूंजी के पुनर्भुगतान, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान तथा सांविधिक निगमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जारी या जुटाए गए बांडों या ऋणों, डिबेंचर के पुनर्भुगतान के लिए दी जाती हैं।

<sup>20</sup> श्रेणी -II गारंटियां शेयर पूंजी के पुनर्भुगतान, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान तथा सांविधिक निगमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा जारी या जुटाए गए बांडों या ऋणों, डिबेंचर के पुनर्भुगतान के लिए दी जाती हैं।

## 2.5 वृहद आर्थिक मापदंडों में प्रवृत्ति

- ❖ राजकोषीय घाटा, एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की समेकित निधि से प्राप्त कुल राशि और निधि में प्राप्त कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है, जिसमें ऋण प्राप्तियां और ऋण चुकौती शामिल नहीं हैं।
- ❖ राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता है।
- ❖ प्राथमिक घाटा का अर्थ है राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटाकर प्राप्त राशि।

### क (i). राजकोषीय संकेतक - रोलिंग लक्ष्य

तीन वर्ष के रोलिंग लक्ष्यों के लिए राजकोषीय अनुमान एमटीएफपी विवरण में शामिल नहीं हैं

एफआरबीएम अधिनियम (अप्रैल 2018 में संशोधित) की धारा 3(2) के अनुसार, "मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण में अंतर्निहित मान्यताओं के विनिर्देश के साथ निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन साल का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू होकर, सरकार ने एमटीएफपी विवरण में वाई+1 और वाई+2 वर्षों के लिए अनुमान शामिल नहीं किये। इसके बजाय, संबंधित वर्षों के एमटीएफपी विवरण में धारा 4 में उल्लिखित राजकोषीय लक्ष्यों से विचलन के कारणों और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 7(3)(बी) के तहत दायित्वों के अनुपालन की व्याख्या करने वाला एक विवरण शामिल किया गया।

सरकार ने एमटीएफपी विवरण 2021-22 में कहा कि "सरकार एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन करेगी। इसलिए, इस विवरण के साथ वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए कोई राजकोषीय अनुमान प्रस्तुत नहीं किया गया है"। फिर से, एमटीएफपी विवरण 2022-23 में सरकार ने तर्क दिया कि "जबकि भारत की आर्थिक नींव मजबूत बनी हुई है, सरकार के लिए महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं के कम होने तक आने वाली आकस्मिकताओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपेक्षित राजकोषीय लचीलापन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए, एफआरबीएम कानून में संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय

अनुमान इस विवरण<sup>21</sup> के साथ नहीं रखे जा रहे हैं। वाई+1 और वाई+2 वर्षों के लिए अग्रिम अनुमान फिर से एमटीएफपी 2023-24 और 2024-25 में नहीं लगाए गए हैं।

### क (ii). राजकोषीय संकेतकों के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में अनुमान

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय संकेतकों और उनके वास्तविक आंकड़ों के बारे में अनुमान नीचे तालिका 2.7 में दर्शाए गए हैं।

**तालिका 2.7: वास्तविक की तुलना में अनुमान**

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

अनुमानित राजकोषीय संकेतक का प्रकार	एमटीएफपी 2020-21	एमटीएफपी 2021-22	एमटीएफपी 2022-23	एमटीएफपी 2023-24	यूजीएफए 2022-23
	2022-23 के लिए अनुमान (वाई +2)	2022-23 के लिए अनुमान (वाई +1)	2022-23 के लिए बजट अनुमान	2022-23 के लिए संशोधित अनुमान	2022-23 के लिए वास्तविक आंकड़े
राजकोषीय घाटा	3.1	-	6.4	6.4	6.52
राजस्व घाटा	1.9	-	3.8	4.1	3.97
प्राथमिक घाटा	0.0	-	2.8	3.0	2.96
सकल कर राजस्व	10.7	-	10.7	11.1	11.33
गैर-कर राजस्व	1.5	-	1.0	1.0	2.24
केन्द्र सरकार का ऋण	45.5	-	60.2	57.0	57.93
जिसमें ई.बी.आर. के कारण देयताएं	0.9	-	-	-	0.51

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की 29 फरवरी 2024 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी आंकड़े।

तालिका-2.7 से पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व और गैर-कर राजस्व के लिए वास्तविक संग्रह बजट अनुमानों से अधिक थे, लेकिन राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा के वास्तविक आंकड़े उनके संबंधित बजट अनुमानों से थोड़ा अधिक थे। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण, बजट अनुमान चरण में अनुमान से कम था।

<sup>21</sup> सरकार ने एमटीएफपी विवरण 2021-22 में कहा कि "सरकार एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन करेगी। इसलिए, इस विवरण के साथ वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए कोई राजकोषीय अनुमान प्रस्तुत नहीं किया गया है।"

**ख. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नाममात्र वृद्धि से जीडीपी बजटीय अनुमानों से अधिक हो गई

**तालिका 2.8: जीडीपी की प्रवृत्ति**

(₹ लाख करोड़ में)

सकल घरेलू उत्पाद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद)	189.00	201.04	198.54	235.97	269.50
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन (वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद)	10.59	6.37	-1.24	18.85	14.21
स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद)	139.93	145.35	136.95	150.22	160.71
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन (स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद)	6.45	3.87	-5.78	9.69	6.98

स्रोत: (जीडीपी-एनएसओ) प्रेस विज्ञप्तियां दिनांक 29 फरवरी 2024 और 31 मई 2024।


मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपी) में अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी नाममात्र शर्तों में ₹285.54 लाख करोड़ होगी। बजट 2022-23 में अनुमान लगाया गया है कि जीडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 11.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹258 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच जाएगी।

बजट 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी का अनुमान ₹273.08 लाख करोड़ रखा गया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी ₹269.50 लाख करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.21 प्रतिशत अधिक है।

## ग. राजस्व प्राप्तियाँ

सकल कर और गैर-कर राजस्व बजटीय अनुमानों से अधिक रहा है

तालिका 2.9: राजस्व प्राप्ति के अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ों का विश्लेषण



स्रोत: बीई के लिए - वार्षिक वित्तीय विवरण 2022-23 और वास्तविक के लिए - यूजीएफए 2022-23।

सकल कर राजस्व संग्रह ₹30.54 लाख करोड़ अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में अनुमानित राशि से ₹10.73 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति संग्रह ₹27.13 लाख करोड़ था, जबकि बजट में ₹25.17 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया था। वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर करों को छोड़कर सभी सकल कर राजस्व घटकों में बजट अनुमानों से वास्तविक में मध्यम वृद्धि दर्ज की गई। सकल कर राजस्व के घटकों में बड़ी वृद्धि “आय और व्यय पर कर” (बजट अनुमान से 16.71 प्रतिशत) और “संपत्ति और पूंजीगत लेनदेन पर कर” (बजट अनुमान से 25.00 प्रतिशत) में देखी गई। गैर-कर राजस्व, जो ₹6.07 लाख करोड़ है, उसमें भी 5.38 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि देखी गई जो बजट अनुमान से अधिक है (अनुलग्नक 2.4)।


## घ. राजस्व व्यय

आर्थिक सेवाओं में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय बजटीय अनुमान से अधिक रहा

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय ₹37.84 लाख करोड़ था, जो बजट अनुमानों से 7.87 प्रतिशत अधिक था (तालिका 2.10)। सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय

(₹16.79 लाख करोड़) कुल राजस्व व्यय का 44.37 प्रतिशत था और यह बजट अनुमानों (3.96 प्रतिशत अधिक) के करीब रहा। बजट अनुमानों से वास्तविक में बड़ी वृद्धि रक्षा सेवाओं-नौसेना (बजट अनुमान से 19.23 प्रतिशत अधिक) और रक्षा सेवाओं-वायु सेना (बजट अनुमान से 38.24 प्रतिशत अधिक) में देखी गई। सामाजिक सेवाओं (₹2.14 लाख करोड़) के लिए राजस्व व्यय बजट अनुमानों (-0.47 प्रतिशत) से थोड़ा कम था, जिसका कारण चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य (बजट अनुमान से 9.76 प्रतिशत कम) और श्रम, रोजगार और कौशल विकास (बजट अनुमान से 11.76 प्रतिशत कम) के लिए आवंटन में कमी थी। हालाँकि, आर्थिक सेवाओं के लिए राजस्व व्यय (₹12.33 लाख करोड़) का वास्तविक आंकड़ा बजट अनुमानों से 18.56 प्रतिशत अधिक था (अनुलग्नक 2.5)।

तालिका 2.10: राजस्व व्यय के अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ों का विश्लेषण



स्रोत: बीई के लिए - वार्षिक वित्तीय विवरण 2022-23 और वास्तविक के लिए - यूजीएफए 2022-23।

### ड. एमटीएफपी विवरण 2022-23 के अनुसार निर्धारित क्षेत्रों पर व्यय

एमटीएफपी विवरण 2022-23 में सरकार ने “स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, ग्रामीण विकास आदि जैसे प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों के लिए व्यय को प्राथमिकता देने के बारे में कहा है ताकि सतत विकास और रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके;”

हमने वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान क्षेत्रवार व्यय का विश्लेषण किया है जैसा कि नीचे तालिका 2.11 में दिया गया है।

**तालिका 2.11: निर्धारित क्षेत्रों पर व्यय**

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र/वर्ष		2020-21	2021-22	2022-23
कृषि	राजस्व	1,16,286.23	1,23,267.48	1,10,142.59
	पूँजीगत	21.8	12.89	8.10
	कुल	1,16,308.03	1,23,280.37	1,10,150.69
शिक्षा	राजस्व	1,18,489.32	1,19,181.91	1,50,132.08
	पूँजीगत	205.74	12.02	2.94
	कुल	1,18,695.06	1,19,193.93	1,50,135.02
स्वास्थ्य	राजस्व	94,729.31	94,014.67	98,366.99
	पूँजीगत	3,586.99	4,940.60	3,050.82
	कुल	98,316.3	98,955.27	1,01,417.81
पेयजल एवं स्वच्छता	राजस्व	34,116.89	1,26,616.94	71,810.50
	पूँजीगत	158.07	195.11	181.42
	कुल	34,274.96	1,26,812.05	71,991.92
ग्रामीण विकास	राजस्व	3,37,353.26	2,89,911.26	3,33,079.93
	पूँजीगत	0	0	0
	कुल	3,37,353.26	2,89,911.26	3,33,079.93

स्रोत: 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की अनुदान मांगों का सारांश।

अनुदान मांग के सारांश में वर्णित संबंधित मंत्रालय के व्यय को विश्लेषण के लिए लक्षित क्षेत्रीय व्यय के रूप में उपयोग किया गया।

हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्धारित क्षेत्र कृषि, पेयजल और स्वच्छता पर कुल व्यय में कमी आई है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में वृद्धि हुई है।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल एवं स्वच्छता में मूल बजट से वास्तविक व्यय (अनुलग्नक 2.6) क्रमशः 16.88 प्रतिशत, 9.90 प्रतिशत, 13.06 प्रतिशत और 53.09 प्रतिशत कम रहा। हालांकि, ग्रामीण विकास पर वास्तविक व्यय 2022-23 के बजट अनुमान से 33.12 प्रतिशत बढ़ा है।



### च. पूंजीगत प्राप्तियां

#### गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत विनिवेश आय बजट अनुमानों से कम रही है

पूंजीगत प्राप्तियों में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां और ऋण प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों (एनडीसीआर) के दो प्रमुख घटक हैं अर्थात् ऋण और अग्रिम की वसूली और अन्य प्राप्तियां (जिसमें ज्यादातर विनिवेश प्राप्तियां शामिल हैं, जो सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी की बिक्री के अलावा रणनीतिक परिसंपत्तियों की बिक्री पर सरकार को प्राप्त होती हैं)। एमटीएफपी 2022-23 में सरकार ने कहा कि "बजट अनुमान 2022-23 में ऋण और अग्रिम की वसूली और विनिवेश अनुमान के तहत प्राप्तियां क्रमशः ₹0.14 लाख करोड़ और ₹0.65 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है"। ऋण और अग्रिम की वास्तविक वसूली और विनिवेश के तहत क्रमशः ₹0.36 लाख करोड़ और ₹0.30 लाख करोड़ थे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी इक्विटी के विनिवेश से ₹30,184 करोड़ प्राप्त हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह ₹8,432 करोड़ था। हालाँकि, प्राप्तियाँ महामारी-पूर्व अवधि की तुलना में कम थीं।

### छ. राजस्व और पूंजीगत व्यय

वित्तीय वर्ष 2020-21 से कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में और निरपेक्ष रूप से पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर्ज की गई है

तालिका 2.12: राजस्व और पूंजीगत व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ लाख करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण और अग्रिम	कुल व्यय
2018-19	22.62	4.00	0.55	27.16
	83.28 प्रतिशत	14.69 प्रतिशत	2.03 प्रतिशत	
2019-20	26.15	3.88	0.45	30.48
	85.79 प्रतिशत	12.73 प्रतिशत	1.48 प्रतिशत	
2020-21	33.15	3.43	2.50	39.08
	84.83 प्रतिशत	8.7 प्रतिशत	6.39 प्रतिशत	
2021-22	34.68	5.38	2.32	42.39
	81.83 प्रतिशत	12.69 प्रतिशत	5.48 प्रतिशत	
2022-23	37.84	6.25	1.42	45.51
	83.15 प्रतिशत	13.73 प्रतिशत	3.12 प्रतिशत	

स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए। प्रतिशत में आंकड़े उस वर्ष के कुल व्यय के अनुपात के रूप में दिखाए गए हैं।

सरकार के कुल व्यय में ₹3.12 लाख करोड़ की वृद्धि हुई (राजस्व व्यय में (₹3.16 लाख करोड़) की वृद्धि और पूंजीगत व्यय में (₹0.87 लाख करोड़) की वृद्धि के कारण) तथा ऋण और अग्रिम में (₹0.90 लाख करोड़) की कमी के कारण।


निरपेक्ष रूप से राजस्व व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक बढ़ते कुल व्यय के अनुरूप लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कुल व्यय के अनुपात के रूप में, यह वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक घट गया और वित्तीय वर्ष 2022-23 में और बढ़ गया (83.15 प्रतिशत)। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 14.70 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का 14.04 प्रतिशत हो गया।

निरपेक्ष रूप से पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक, वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹4.0 लाख करोड़ से घटकर वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹3.43 लाख करोड़ हो गया। हालांकि, यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹5.38 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹6.25 लाख करोड़ हो गया। पिछले साल की तुलना में इसमें 16.17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह ध्यान देने योग्य है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹2.32 लाख करोड़ से ऋण और अग्रिम पर व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में घटकर ₹1.42 लाख करोड़ हो गया, जिसका कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹1.59 लाख करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी<sup>22</sup> के एवज में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए व्यवस्थित बैंक-टू-बैंक ऋणों को शामिल करना है।

---

<sup>22</sup> 1 जुलाई 2017 से जीएसटी व्यवस्था में स्थानांतरित होने पर राज्य सरकारों को, यदि कोई कमी होती है, तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना था। जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹1.10 लाख करोड़ और ₹1.59 लाख करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण देने का निर्णय लिया, जिसका पूर्ण भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाना था और भविष्य के मुआवजा उपकर संग्रह से इसकी भरपाई की जानी थी।

**तालिका 2.13: कुल व्यय के अनुपात में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण और अग्रिम की प्रवृत्ति**




स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए।

सरकार के कुल व्यय का प्रमुख घटक राजस्व व्यय है, जो वित्तीय वर्ष 2018-29 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 83 से 86 प्रतिशत के बीच रहा। दूसरी ओर, कुल व्यय के अनुपात के रूप में पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2018-29 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 13 से 15 प्रतिशत के बीच रहा (महामारी वर्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर जब यह लगभग 8.78 प्रतिशत था)।

## ज. गैर-ऋण प्राप्तियां

**तालिका 2.14: गैर-ऋण प्राप्तियों की प्रवृत्ति**



स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए।

गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर 28.16 प्रतिशत रही (कोविड 19 के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में गिरावट)। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में इनमें 12.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### झ. गैर-ऋण प्राप्तियों से वित्तपोषित कुल व्यय

वित्तीय वर्ष 2020-21 से गैर-ऋण संसाधनों से पूरा किया गया कुल व्यय बढ़ा

तालिका 2.15: गैर-ऋण प्राप्तियों और कुल व्यय का वर्षवार संग्रहण

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (₹ लाख करोड़ में)	कुल व्यय में वर्ष दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	गैर-ऋण प्राप्तियां* (₹ लाख करोड़ में)	गैर-ऋण प्राप्तियों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)	गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय (प्रतिशत में)
2018-19	27.16	6.64	19.32	3.76	71.13
2019-20	30.48	12.22	20.17	4.40	66.17
2020-21	39.08	28.22	19.32	-4.21	49.44
2021-22	42.39	8.47	24.76	28.16	58.41
2022-23	45.51	7.36	27.95	12.88	61.42

स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए।

\*गैर-ऋण प्राप्तियों में शामिल हैं - राजस्व प्राप्तियां, विविध पूंजी प्राप्तियां और ऋण एवं अग्रिम की वसूली।

वित्तीय वर्ष 2022-23 (वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में) के लिए गैर-ऋण प्राप्तियों में साल-दर-साल वृद्धि 12.88 प्रतिशत थी। महामारी-पूर्व वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय क्रमशः लगभग 71 प्रतिशत और 66 प्रतिशत था। स्वयं के स्रोतों (गैर-ऋण प्राप्तियों) द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कम हो गया और उसके बाद लगातार बढ़ा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 61.42 प्रतिशत था जो अभी भी महामारी-पूर्व वर्षों की तुलना में कम है। यह दर्शाता है कि तुलनात्मक रूप से अधिक ऋण प्राप्तियां पूर्व-महामारी अवधि की तुलना में कुल व्यय का वित्तपोषण कर रही हैं।

## 2.6 राजकोषीय घाटा (एफडी)

राजकोषीय घाटे (एफडी) के आधार पर निवल ऋण आवश्यकता संशोधित अनुमानों और वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुमानों से कम रही

एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अनुसार, राजकोषीय घाटा (एफडी) का अर्थ है एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की समेकित निधि से, ऋण की चुकौती को छोड़कर, कुल संवितरणों का निधि में कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर) से अधिक होना। नीचे दी गई तालिका 2.16 यूजीएफए 2022-23 के विवरण संख्या 1 में निहित जानकारी के आधार पर राजकोषीय घाटे की गणना करती है।

तालिका 2.16: 2022-23 के लिए राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ लाख करोड़ में)

व्यय	राशि	राजकोषीय मापदंड	प्राप्तियाँ	राशि
राजस्व व्यय	37.84	राजस्व घाटा 10.71	राजस्व प्राप्तियाँ	27.13
पूंजीगत व्यय	6.25		विविध पूंजी प्राप्तियाँ	0.46
ऋण और अग्रिम	1.42		ऋण और अग्रिम राशि की वसूली	0.36
कुल संवितरण	45.51	राजकोषीय घाटा 17.56	कुल गैर-ऋण प्राप्तियाँ	27.95

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2022-23 का यूजीएफए।

हालांकि, बजट एक नजर (बीएजी) 2024-25 में राजकोषीय घाटा (₹17,37,755 करोड़) और राजस्व घाटा (₹10,69,926 करोड़) के आंकड़े यूजीएफए 2022-23 से ऊपर गणना किए गए आंकड़ों से भिन्न थे।

2024 की पिछली सीएजी प्रतिवेदन संख्या 1 में, हमने सिफारिश की थी कि राजकोषीय घाटे की गणना से कुछ लेनदेन को हटाने के आधार के बारे में स्पष्टीकरण के साथ-साथ बीएजी में एक सामान्य प्रकटीकरण<sup>23</sup> दिया जाना चाहिए। हालांकि वित्तीय वर्ष 2023-24 से एक सामान्य प्रकटीकरण डाला गया है, लेकिन लेखापरीक्षा के कहने पर बीएजी 2024-25 में स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं था।

<sup>23</sup> ये लेनदेन प्राप्त बजट (अनुलग्नक-3) और व्यय प्रोफाइल दस्तावेज़ (विवरण संख्या 17) में दिए गए समाधान विवरणों में सूचीबद्ध हैं।

### आंतरिक ऋण राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत है

राजकोषीय घाटे को या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक या बाह्य) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है या लोक लेखा से अधिशेष निधियों का उपयोग करके। हमने इन स्रोतों की पहचान नीचे तालिका 2.17 में विस्तार से की है।

**तालिका 2.17: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत**

(₹ लाख करोड़ में)

अवधि	आंतरिक ऋण (निवल)		बाह्य ऋण (निवल)		लोक लेखा (निवल)		नकद निकासी		राजकोषीय घाटा
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि
2018-19	6.73	85.84	0.20	2.55	0.92	11.74	-0.01	-0.13	7.84
2019-20	9.46	91.76	0.29	2.81	0.51	4.95	0.05	0.48	10.31
2020-21	18.89	95.65	0.89	4.51	0.04	0.20	-0.07	-0.36	19.75
2021-22	15.53	88.09	0.51	2.89	1.56	8.85	0.03	0.17	17.63
2022-23	16.12	91.80	0.54	3.07	0.92	5.24	-0.02	-0.11	17.56

स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से निवल आंतरिक ऋण (लगभग 91.80 प्रतिशत हिस्सा) से वित्तपोषित किया गया, जबकि राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बाहरी ऋण का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 2.89 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3.07 प्रतिशत हो गया। राजकोषीय घाटे के घटकों को तालिका 2.18 में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से राजकोषीय घाटे की तुलना में निवल पूंजीगत व्यय का अनुपात बढ़ रहा है

तालिका 2.18: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ लाख करोड़ में)

अवधि	राजस्व घाटा		निवल पूंजीगत व्यय		शुद्ध ऋण और अग्रिम		राजकोषीय घाटा
		एफडी में हिस्सा (प्रतिशत में)		एफडी में हिस्सा (प्रतिशत में)		एफडी में हिस्सा (प्रतिशत में)	
2018-19	4.55	58.04	3.05	38.90	0.24	3.06	7.84
2019-20	6.67	64.69	3.37	32.69	0.27	2.62	10.31
2020-21	14.50	73.42	3.05	15.44	2.20	11.14	19.75
2021-22	10.32	58.54	5.24	29.72	2.07	11.74	17.63
2022-23	10.71	60.99	5.79	32.97	1.06	6.04	17.56

स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹17.56 लाख करोड़ के राजकोषीय घाटे में से ₹10.71 लाख करोड़ (61 प्रतिशत) राजस्व लेखे पर घाटे के वित्तपोषण के लिए थे, जो महामारी अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 में 73.42 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 58.54 प्रतिशत हो गया, जिसमें 2.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, यह महामारी से पहले की अवधि (वित्तीय वर्ष 2019-20) से कम था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एफडी के प्रतिशत के रूप में निवल ऋण और अग्रिम लगभग आधे हो गए।

## 2.7 उधार - लोक ऋण और अन्य देयताएं

केंद्र सरकार ने बजट अनुमान 2022-23 में दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और निवल उधारी की क्रमशः लगभग ₹14.95 लाख करोड़ और ₹11.09 लाख करोड़ की योजना बनाई। यह राशि बजट अनुमान 2021-22 में नियोजित ₹12.05 लाख करोड़ की सकल उधारी से 24 प्रतिशत अधिक है। मध्यम अवधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरण 2022-23 में, मंत्रालय ने कहा कि "यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उच्च ऋण चुकौती और नाममात्र शर्तों में राजकोषीय घाटे में बदलाव के कारण है।" हालांकि, एमटीएफपी 2023-24 में सकल उधारी और निवल उधारी को

क्रमशः ₹14.21 लाख करोड़ और ₹12.08 लाख करोड़ पर संशोधित किया गया था। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के अन्य स्रोत केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश, अल्पकालिक ट्रेजरी बिल, निवल बाहरी सहायता और लोक लेखा शेष आदि हैं। बजट अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए एनएसएसएफ से उधार लगभग ₹4.25 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जबकि बाहरी स्रोतों और राज्य भविष्य निधि से क्रमशः ₹0.19 लाख करोड़ और ₹ 0.20 लाख करोड़ उधार होने का अनुमान है। हालाँकि, यूजीएफए<sup>24</sup> के अनुसार, 2022-23 में ₹17.56 लाख करोड़ का घाटा, आंतरिक ऋण से ₹16.12 लाख करोड़, बाहरी ऋण से ₹0.54 लाख करोड़ और लोक लेखा से ₹0.92 लाख करोड़ की उधारी के माध्यम से पूरा किया गया, जिसमें ₹0.02 लाख करोड़ की नकदी निकासी शामिल है।

---

<sup>24</sup> संघ सरकार वित्त लेखा।



## अध्याय 3

### प्रकटीकरण और पारदर्शिता



## अध्याय 3

## प्रकटीकरण और पारदर्शिता

### 3.1 प्रकटीकरण विवरण

एफआरबीएम अधिनियम, 2003 (संशोधित) की धारा 6(1) में कहा गया है कि "केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में अपने राजकोषीय परिचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी और वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांग की तैयारी में गोपनीयता को यथासंभव कम करेगी"। समय-समय पर संशोधित एफआरबीएम नियम, 2004 के नियम 6 में यह भी अनिवार्य किया गया है कि केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांग प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रारूप में प्रकटीकरण (डी-1 से डी-5) करेगी। साथ ही, लेखांकन मानकों, नीतियों और प्रथाओं में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन जो निर्धारित राजकोषीय संकेतकों की गणना को प्रभावित करता है या प्रभावित करने की संभावना है, उसे भी एफआरबीएम नियमों के तहत प्रकट किया जाना आवश्यक है।

**तालिका 3.1: एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण विवरण**

प्रकटीकरण विवरण का शीर्षक	
डी1	कर राजस्व जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया
डी2	गैर-कर राजस्व का बकाया
डी3	सरकार द्वारा दी गई गारंटी
डी4	परिसंपत्ति रजिस्टर
डी5	वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता


#### 3.1.1 जुटाए गए किन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व पर प्रकटीकरण प्रपत्र 1 (डी1)

कर राजस्व जुटाया गया, लेकिन वसूली नहीं हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है, जो गैर-ऋण प्राप्तियों का लाभ उठाने के अवसर के खो जाने का संकेत है

प्रकटीकरण विवरण 1 में जुटाए गए लेकिन प्राप्त नहीं किए गए कर राजस्व का विवरण दिया गया है, अर्थात् संभावित कर राजस्व की राशि, जो वर्ष के अंत तक अभी भी

एकत्र की जानी है। इन राशियों को आगे 'विवादित वस्तुओं' और 'अविवादित वस्तुओं' की अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है (अनुलग्नक 3.1)। फॉर्म डी1 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में ₹21.30 लाख करोड़ की राशि जुटाई गई, लेकिन अभी तक वसूल नहीं की जा सकी है, जो वर्ष के दौरान एकत्र किए गए सकल कर का 69.74 प्रतिशत है। हमने देखा कि पिछले वर्ष की तुलना में, यह अप्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹5.47 लाख करोड़ बढ़ गई थी (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹15.83 लाख करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹21.30 लाख करोड़ तक), जिसमें से अविवादित राशि का हिस्सा ₹5.28 लाख करोड़ था (वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹3.80 लाख करोड़ से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹9.08 लाख करोड़ तक) जैसा कि नीचे चित्र 3.2 में विस्तृत है (विवरण अनुलग्नक 3.2 में)। प्रकटीकरण विवरण में कर राजस्व के एकत्रीकरण, लेकिन 'अविवादित' श्रेणी में वसूल न किए जाने का प्रमुख कारण "कोई परिसंपत्ति न होना या वसूली के लिए अपर्याप्त परिसंपत्ति होना, परिसंपत्तियों का पता न लगा पाना आदि" बताया गया है।

**तालिका 3.2: कर राजस्व में वृद्धि लेकिन वसूली न होने की प्रवृत्ति**



स्रोत: क्रमशः 2021-22 और 2022-23 के वास्तविक आंकड़े, प्राप्ति बजट 2023-24 और 2024-25।

इसके अलावा, ₹12.22 लाख करोड़ की राशि 'विवादित' के रूप में बताई गई, जिसमें से ₹10.48 लाख करोड़ आय और व्यय पर कर से संबंधित थे और शेष ₹1.74 लाख करोड़ वस्तुओं और सेवाओं पर कर से संबंधित थे। हमने पाया कि आय और व्यय पर कर में पांच साल से अधिक समय से 'विवादित' मामलों की लंबितता वित्तीय वर्ष 2021-23 के दौरान ₹0.62 लाख करोड़ से बढ़कर ₹0.77 लाख करोड़ हो गई और वस्तुओं और सेवाओं पर कर के संबंध में यह ₹0.62 लाख करोड़ से बढ़कर ₹0.66 लाख करोड़ हो गई।

कर राजस्व में वृद्धि, जो प्राप्त नहीं हुई, इसका तात्पर्य यह है कि संभावित कर संग्रह से उधारी में उस सीमा तक कमी आई होगी।

### 3.1.2 प्रकटीकरण में असंगतता

**यूजीएफए 2022-23 में बताए गए ब्याज प्राप्तियों के बकाया के आंकड़ों में असंगति है**

एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण के अनुसार, गैर-कर राजस्व (एनटीआर) के बकाया का विवरण प्राप्ति बजट में प्रदान किया जाता है। पिछले सीएजी प्रतिवेदन<sup>25</sup> में फॉर्म डी-2 में ब्याज प्राप्तियों<sup>26</sup> में बकाया के रूप में बताए गए वास्तविक आंकड़ों और उस वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त खाते (विवरण 3 और 15) में बताए गए आंकड़ों के बीच अंतर की ओर इशारा किया गया है। 2022-23 में भी अंतर बना हुआ है और नीचे तालिका 3.3 में दिखाया गया है।

**तालिका 3.3: ब्याज प्राप्तियों के बकाया में असंगतता**

बकाया राशि का ब्याज (₹ में करोड़)			
ऋणी इकाई	जैसा कि डी2 में (प्राप्ति बजट 2024-25)	जैसा कि यूजीएफए के विवरण 3 में कहा गया है 2022-23	(स्तंभ 2 और 3 के बीच) भिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकार	1,705.28	4,867.84	3,162.56
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम	47,265.92	47,480.04	214.12

स्रोत: जुलाई 2024 में प्रस्तुत प्राप्ति बजट 2024-25 और संघ सरकार वित्त लेखा 2022-23।

<sup>25</sup> 2021 की प्रतिवेदन संख्या 6 (वित्तीय वर्ष 2017-19 की अवधि के लिए), 2022 की प्रतिवेदन संख्या 18 (वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए) और 2022 की प्रतिवेदन संख्या 32 (वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए) और 2024 की प्रतिवेदन संख्या 1 (वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए)।

<sup>26</sup> राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार, वाणिज्यिक उपक्रम विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियों में बकाया।

हमने पाया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे (यूजीएफए) को भारत के सीएजी द्वारा 17 दिसंबर 2023 को प्रमाणित किया गया था और 19 दिसंबर 2023 को संसद के समक्ष रखा गया था। यूजीएफए के विवरण 15 खंड 2 के तहत समेकित किए गए ब्याज के बकाया का विवरण प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा राज्यवार तैयार किया गया था, जबकि वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली (यूबीआईएस) की ऑनलाइन उपयोगिता में निहित डेटा मंत्रालय/अनुदान-वार समेकित किया गया था। इस प्रकार, डेटा के ये दो सेट एक सामान्य पैरामीटर यानी राज्यवार जानकारी की कमी के कारण मेल नहीं खा पाए। यह मुद्दा 2024 की प्रतिवेदन संख्या 1 में भी उठाया गया था।

हमने यह भी पाया कि लेखों को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के कार्यालय में अंतिम रूप दिया गया था, जिसकी सीजीए द्वारा तैयार मासिक लेखों तक भी पहुँच है। इस प्रकार, मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यूबीआईएस में दर्ज डेटा, विशेष रूप से "राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार" और "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों" से फॉर्म डी-2 में लंबित ब्याज प्राप्तियां", यूजीएफए के अनुसार हैं।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि सभी मंत्रालयों/विभागों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूबीआईएस की ऑनलाइन उपयोगिता पर दी गई जानकारी वित्त लेखों में दिए गए आंकड़ों के अनुरूप हों।

इसी तरह, विवरण डी4-परिसंपत्ति रजिस्टर में बताई गई वित्तीय परिसंपत्तियों (विदेशी सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया ऋण) की राशि, प्राप्ति बजट 2024-25 की विवरण संख्या 1(ii) में निहित राशि से भिन्न है।

## तालिका 3.4: वित्तीय परिसंपत्तियों (ऋण और अग्रिम) के आंकड़ों में असंगति

(₹ लाख करोड़ में)

मद	प्राप्ति बजट 2024-25 में फॉर्म डी-4 (परिसंपत्ति रजिस्टर)	प्राप्ति बजट 2024-25 और यूजीएफए 2022-23 का विवरण संख्या 1(ii)	अंतर
विदेशी सरकारों को ऋण	0.16	0.15	0.01
राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण	0.05	5.82	5.77

स्रोत: प्राप्ति बजट 2024-25 और केंद्र सरकार वित्त लेखे 2022-23।

इस असंगति को पिछले सीएजी प्रतिवेदन<sup>27</sup> में नियमित रूप से इंगित किया गया था। यह 2022-23 के दौरान भी जारी रहा, जबकि दोनों विवरण एक ही दस्तावेज़ (प्राप्ति बजट) में शामिल थे।

### 3.2 एफआरबीएम अधिनियम के तहत अनिवार्य विवरणों में प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के बीई आंकड़ों के प्रकटीकरण में भिन्नता

क. एफआरबीएम अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार, "वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, छमाही आधार पर, बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की समीक्षा करेंगे और ऐसी समीक्षाओं के परिणामों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे"। इस प्रकार, सही बजट आंकड़ों का अनुमान यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि अपेक्षित अनुपालन<sup>28</sup> प्राप्त किया गया था या नहीं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के अंत में अर्धवार्षिक समीक्षा (प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति) पर विवरण की समीक्षा करते समय यह पाया गया कि विवरण की

<sup>27</sup> वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए क्रमशः सीएजी प्रतिवेदन संख्या 18 (2022), 32 (2022) और 01 (2024)

<sup>28</sup> समय-समय पर संशोधित एफआरबीएम नियम 7 में गैर-ऋण प्राप्तियों के संग्रह के लिए वर्ष के मध्य (अर्थात् सितंबर के अंत में) बेंचमार्क निर्धारित किए गए हैं, जो कि बजट अनुमानों के 40 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए, तथा आर.डी. और एफ.डी. के लिए वर्ष के बजट अनुमानों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। यदि इन बेंचमार्क का उल्लंघन होता है, तो संसद में एक विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का विवरण दिया जाना चाहिए।

तालिका 1 में दर्शाए गए बजट अनुमान 2022-23 के लिए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय विवरण में बताए गए आंकड़ों से भिन्न थे। देखी गई भिन्नताएँ नीचे तालिका 3.5 में सारणीबद्ध हैं।

**तालिका 3.5: एच1/ एच2 विवरणों और एएफएस में प्रयुक्त प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के बी.ई. आंकड़ों में भिन्नता**

क्रम. संख्या	विवरण	बजट अनुमान (बीई) (₹ करोड़ में)	
		2022-23 के लिए एच 1 और एच 2 के अनुसार	2022-23 के लिए एएफएस के अनुसार
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3)	22,04,422	25,17,456.48
2	कर राजस्व	19,34,771	19,41,170.66
3	गैर-कर राजस्व	2,69,651	5,76,285.82
4	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	17,40,487	17,72,836.09
	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (5+6)	79,291	89,666.02
5	ऋण की वसूली	14,291	24,666.02
6	अन्य प्राप्तियां	65,000	65,000.00
7	उधार और अन्य देयताएं	16,61,196	16,83,170.07
8	कुल प्राप्तियां (1+4)	39,44,909	42,90,292.57
9	राजस्व व्यय	31,94,663	35,08,291.18
10	ब्याज भुगतान	9,40,651	9,56,003.67
11	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	3,17,643	-
12	पूंजीगत व्यय	7,50,246	7,82,001.39
13	कुल व्यय (9+12)	39,44,909	42,90,292.57



क्रम. संख्या	विवरण	बजट अनुमान (बीई) (₹ करोड़ में)	
		2022-23 के लिए एच 1 और एच 2 के अनुसार	2022-23 के लिए एफएस के अनुसार
14	राजस्व घाटा (9-1)	9,90,241	9,90,834.70
15	प्रभावी राजस्व घाटा (14-11)	6,72,598	-
16	राजकोषीय घाटा {13-(1+5+6)}	16,61,196	16,83,170.07
17	प्राथमिक घाटा (16-10)	7,20,545	7,27,166.40

स्रोत: एच 1 2022-23, एच 2 2022-23, और एफएस 2022-23।

चूंकि एच1 और एच2 विवरणों को एफआरबीएम अधिनियम, 2003 (अप्रैल 2018 में संशोधित) की धारा 7(1) के अनुसार संसद में रखा जाना आवश्यक है, एच1 और एच2 की तालिका 1 में दर्शाए गए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के आंकड़े (बीई) वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुरूप होने चाहिए, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार तैयार किया जाता है।

मंत्रालय ने जवाब दिया (जुलाई 2024) कि मुख्य राजकोषीय संकेतकों के बजट अनुमान के आंकड़े बीएजी आंकड़ों से लिए गए थे जो कि निवल आंकड़े हैं। हालांकि, एच1 और एच2 विवरण में इस संबंध में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया, जिसे मंत्रालय द्वारा भविष्य के विवरणों में शामिल किया जा सकता है।

**ख.** एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांग के साथ मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति विवरण प्रस्तुत करेगी। नियम 4(ए) और नियम 5 के तहत एमटीएफपी का प्रारूप निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के तीन वर्षीय रोलिंग लक्ष्य फॉर्म एफ-1 में दिए जाने चाहिए।

बजट 2022-23 के दौरान प्रस्तुत एमटीएफपी विवरण की समीक्षा करते समय यह पाया गया कि एमटीएफपी विवरण में संदर्भित प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के आंकड़े वार्षिक

वित्तीय विवरण में बताए गए बजट अनुमान 2022-23 के आंकड़ों से भिन्न हैं। पाए गए अंतर को नीचे तालिका 3.6 में सारणीबद्ध किया गया है।

**तालिका 3.6: एमटीएफपी विवरण और एएफएस में प्रयुक्त प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के बीई आंकड़ों में भिन्नता**

(₹ लाख करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	बजट अनुमान (बीई)	
		एमटीएफपी 2022-23 के अनुसार	एएफएस 2022-23 के अनुसार
1	राजकोषीय घाटा	16.61	16.83
2	राजस्व घाटा	9.90	9.91
3	प्राथमिक घाटा	7.20	7.27
4	गैर-कर राजस्व	2.70	5.76

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एमटीएफपी और एएफएस विवरण।


चूंकि एमटीएफपी विवरण (एफआरबीएम नियम 2004 के नियम 4 और 5 के अनुसार तैयार) और एएफएस विवरण (संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत निर्धारित) दोनों एक ही बजट दस्तावेज़ में शामिल हैं, इसलिए एमटीएफपी में दर्शाए गए बजट अनुमानों के आंकड़े वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा, प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के आंकड़ों (बीई) के मद-वार अनुरूपता न होने से, केंद्र सरकार के राजकोषीय संचालन में अपेक्षित पारदर्शिता और मध्यम अवधि के ढांचे में राजकोषीय नीति का संचालन प्रभावित होता दिखता है।

मंत्रालय ने जवाब दिया (जुलाई 2024) कि "राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा आदि बजट एक नजर में (बीएजी) 2022-23 और एमटीएफपी 2022-23 के अनुरूप हैं। चूंकि ये संख्याएँ एएफएस 2022-23 में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है"।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरडी आंकड़े और गैर-कर राजस्व आंकड़े एएफएस में बताए गए हैं, और एएफएस से गणना किए गए एफडी और पीडी आंकड़े एमटीएफपी से अलग थे। इसके अलावा, सरकारी दस्तावेजों में आंकड़ों में एकरूपता होनी चाहिए और एफआरबीएम अधिनियम (एएफएस में) के अनुसार सकल आंकड़ों को प्रस्तुत किया जा सकता है अन्यथा स्पष्टता के लिए इन विवरणों के साथ एक विस्तृत नोट दिया जा सकता है।

नई दिल्ली

दिनांक: 16 मार्च 2025

  
(पुरुषोत्तम तिवारी)


महानिदेशक लेखापरीक्षा

वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 24 मार्च 2025

  
(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



अनुलग्नक



## अनुलग्नक 1.1

(पैरा 1.1 देखें)

एफआरबीएम अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों पर संक्षिप्त प्रकाश

2003 में पहली बार अधिनियमित होने के बाद से

(आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

राजकोषीय संकेतक		लक्ष्य विवरण	मुख्य अधिनियम /नियम	प्रथम संशोधन (2004 में)	दूसरा संशोधन (2012 में)	तीसरा संशोधन (2015 में)	चौथा संशोधन (2018 में)
1.	राजस्व घाटा <sup>29</sup>	लक्ष्य	शून्य	शून्य	2	2	कोई लक्ष्य नहीं
		वार्षिक कमी	0.5	0.5	0.6	0.4	
		वित्तीय वर्ष जिससे शुरूआत हुई	2004-05	2004-05	2013-14	2015-16	
		अंतिम तिथि	31.03.08	31.03.09	31.03.15	31.03.18	
2.	राजकोषीय घाटा <sup>30</sup>	लक्ष्य	3	3	3	3	3
		वार्षिक कमी	0.3	0.3	0.5	0.4	0.1
		वित्तीय वर्ष जिससे शुरूआत हुई	2004-05	2004-05	2013-14	2015-16	2018-19
		अंतिम तिथि	31.03.08	31.03.09	31.03.17	31.03.18	31.03.21
3	गारंटी <sup>31</sup>	किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल गारंटी सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जो वित्तीय वर्ष 2004-05 से शुरू होगी।					किसी भी वित्तीय वर्ष में सीएफआई के सुरक्षाजमा पर सकल घरेलू उत्पाद के डेढ़ प्रतिशत से अधिक किसी भी ऋण के

<sup>29</sup> नियम 2(सीए) राजस्व घाटे को राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित करता है।

<sup>30</sup> धारा 2(ए) राजकोषीय घाटे को एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की समेकित निधि से, ऋण की चुकौती को छोड़कर, कुल संवितरणों तथा निधि में कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर) के आधिक्य के रूप में परिभाषित करती है।

<sup>31</sup> अप्रैल 2018 में संशोधित एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(1सी) एक वर्ष के दौरान जारी अतिरिक्त गारंटी की सीमा निर्दिष्ट करती है, जो संशोधन से पहले वर्ष के अंत में कुल गारंटी को लक्षित करती थी।

राजकोषीय संकेतक	लक्ष्य विवरण	मुख्य अधिनियम /नियम	प्रथम संशोधन (2004 में)	दूसरा संशोधन (2012 में)	तीसरा संशोधन (2015 में)	चौथा संशोधन (2018 में)
						लिए कोई अतिरिक्त गारंटी नहीं
4	देयता/ ऋण	वर्ष 2004-05 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त देयताएं (वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) ग्रहण नहीं करना तथा प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत की सीमा को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम एक प्रतिशत तक उत्तरोत्तर कम करना।				सामान्य सरकारी ऋण और केंद्र सरकार का ऋण वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।



## अनुलग्नक 1.2

(पैरा 1.1 देखें)

## वित्त मंत्रालय द्वारा मध्य-वार्षिक समीक्षा का परिणाम

(₹ लाख करोड़ में)

पैरामीटर	2022-23 के लिए लक्ष्य	वास्तविक आंकड़े
		2022-23 के दौरान
गैर-ऋण प्राप्ति		
गैर-ऋण प्राप्ति (बीई: ₹ 22.84)	9.14	12.04
मध्य-वर्ष बेंचमार्क	40 प्रतिशत से कम नहीं	52.71 प्रतिशत
(बजट अनुमान के प्रतिशत के अनुसार)		(कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं)
राजस्व घाटा		
राजस्व घाटा (बजट अनुमान: ₹ 9.90)	6.93	3.11
मध्य-वर्ष बेंचमार्क	70 प्रतिशत से अधिक नहीं	31.41 प्रतिशत
(बजट अनुमान के प्रतिशत के अनुसार)		(कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं)
राजकोषीय घाटा		
राजकोषीय घाटा (बजट अनुमान: ₹ 16.61)	11.63	6.20
मध्य-वर्ष बेंचमार्क	70 प्रतिशत से अधिक नहीं	37.33 प्रतिशत
(बजट अनुमान के प्रतिशत के अनुसार)		(कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं)

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2022-23 का एच 1 विवरण।

**अनुलग्नक 2.1**  
**केन्द्रीय सरकार ऋण का बकाया**  
**(पैरा 2.1.1 देखें)**

(₹ लाख करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आंतरिक ऋण	वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण	लोक लेखा देयता <sup>32</sup>	अतिरिक्त बजटीय संसाधन <sup>33</sup>	नकद शेष <sup>34</sup>	केन्द्र सरकार का ऋण	वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केन्द्र सरकार का ऋण
	1	2	3	4	5	6 (1+2+3+4-5)	7	8 (6/7x100)
2018-19	70.75	4.74	18.12	0.90	1.25	93.26	189.00	49.34
2019-20	80.20	5.44	18.79	1.12	0.48	105.07	201.04	52.26
2020-21	99.10	6.15	17.61	1.39	2.38	121.87	198.54	61.38
2021-22	114.62	6.58	16.44	1.39	0.38	138.65	235.97	58.76
2022-23	130.74	7.48	16.57	1.38	0.04	156.13	269.50	57.93

स्रोत: आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण और लोक लेखा देनदारियों के लिए संबंधित वर्षों के यूजीएफए को देखें। अतिरिक्त बजटीय संसाधन (सकल) वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट दस्तावेजों में व्यय प्रोफाइल के विवरण 27 के अनुसार हैं। जीडीपी डेटा के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की 29 फरवरी 2024 और 31 मई 2024 की प्रेस विज्ञप्ति देखें।

<sup>32</sup> इसमें रिजर्व फंड और जमा सहित लघु बचत और भविष्य निधि पर देयता शामिल है। वर्ष 2022-23 के लिए ये राशियाँ क्रमशः ₹11.19 लाख करोड़ और ₹5.38 लाख करोड़ थीं।

<sup>33</sup> यह राशि (₹ 1.38 लाख करोड़) व्यय प्रोफाइल 2024-25 के विवरण 27 के अनुसार है, हालाँकि व्यय प्रोफाइल 2023-24 में ₹ 1.39 लाख करोड़ के आंकड़े शामिल हैं, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 2.2 (i) में बाद में चर्चा की गई है।

<sup>34</sup> वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नकदी शेष के आंकड़े में केन्द्र सरकार के वित्त खातों का नकदी शेष निवेश खाता (एमएच-8673) और नकदी शेष (एमएच-8999) शामिल है।

**अनुलग्नक 2.2****अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) का विवरण****(सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बांड एवं अन्य संसाधन)****(केंद्रीय बजट 2024-25 के व्यय विवरण के विवरण 27 से अपनाया गया)****(पैरा 2.2 देखें)****(₹ करोड़ में)**

मांग सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम और योजना का नाम	2016-17 से 2021-22 तक वास्तविक आंकड़े
60	आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय	
	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - शहरी	20,000.00
62	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	
	(i) पोलावरम सिंचाई परियोजना	6,236.00
	(ii) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य परियोजनाएँ)	13,270.80
63	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	
	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	12,298.20
71	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
	ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा, ऑफ-ग्रिड/ वितरित और विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा	1,640.00
78	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	
	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) परियोजनाएं	1,000.00
79	विद्युत मंत्रालय	
	(i) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य	29,109.30
	(ii) विद्युत प्रणाली विकास निधि परियोजनाएं	5,504.70
87	ग्रामीण विकास विभाग	
	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण	48,809.60
	<b>कुल</b>	<b>1,37,868.60</b>

**टिप्पणियाँ:**

- ❖ (i) रेल मंत्रालय को अपनी राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋण के माध्यम से ₹10,200 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹5,200 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹5,000 करोड़) तक की निधि आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति दी गई थी। पुनर्भुगतान देयता सरकार के सामान्य राजस्व से वहन की जा रही है।
- ❖ (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजीगत निवेश: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूँजीकरण के लिए 2017-18 में ₹80,000 करोड़, 2018-19 में ₹1,06,000 करोड़, 2019-20 में ₹65,443 करोड़, 2020-21 में ₹17,364 करोड़ और 2021-22 में ₹4,600 करोड़ की राशि निवेश की गई।
- ❖ (iii) वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता का विवरण प्राप्त बजट 2024-25 के भाग-बी में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अवैतनिक वार्षिक देयता की राशि ₹2,79,281 करोड़ थी।
- ❖ (iv) 31.03.2023 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) का बकाया ऋण ₹3,42,802 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एनएचआई को ऋण लेने की अनुमति नहीं दी गई है।

**अनुलग्नक 2.3**  
**गारंटी का विवरण**  
**(पैरा 2.4 देखें)**

(₹ लाख करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	4.59	5.10	5.34	5.93	5.80
2	वर्ष की शुरुआत में बकाया	3.81	4.50	4.70	4.98	5.20
3	वर्ष के दौरान वृद्धि	0.78	0.61	0.64	0.96	0.61
4	विलोपन (लागू किए गए के अलावा)	0.11	0.44	0.36	0.72	2.61
5	वर्ष के दौरान आवेदित	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05
6	समग्र गारंटी [3-(4+5)]	0.67	0.17	0.28	0.22	-2.05
7	वर्ष के अंत में बकाया	4.48	4.67	4.98	5.19	3.14
8	सकल घरेलू उत्पाद	189.00	201.04	198.54	235.97	269.50
9	वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में गारंटी की अधिकतम राशि	2.43	2.54	2.69	2.51	2.15
10	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त गारंटी	0.41	0.30	0.32	0.41	0.23
11	वर्ष के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया	2.02	2.24	2.37	2.11	1.93

स्रोत: संबंधित वर्षों के यूजीएफए।

**अनुलग्नक 2.4**  
(पैरा 2.5 ग देखें)

**राजस्व प्राप्ति के अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ों का विश्लेषण**

(₹ लाख करोड़ में)

मद	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अंतर
				(बजट अनुमान और वास्तविक) (प्रतिशत में)
सकल कर राजस्व	27.58	30.43	30.54	10.73
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	7.84	8.58	8.54	8.93
आय और व्यय पर कर	14.00	16.25	16.34	16.71
संपत्ति और पूंजीगत लेनदेन पर कर	0.20	0.25	0.25	25.00
वस्तु एवं सेवा कर के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	5.50	5.31	5.39	-2.00
(ए) कर राजस्व	19.41	20.95	21.06	8.50
(बी) गैर-कर राजस्व	5.76	5.86	6.07	5.38
(ए + बी) राजस्व प्राप्तियां	25.17	26.81	27.13	7.79

स्रोत: बजट अनुमान के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण 2022-23, संशोधित अनुमान के लिए 2023-24 और वास्तविक आंकड़ों के लिए यूजीएफए 2022-23।

**अनुलग्नक 2.5**  
**(पैरा 2.5 घ देखें)**

**राजस्व संवितरण के अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ों का विश्लेषण**

(₹ लाख करोड़ में)

मद		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अंतर (बजट अनुमान और वास्तविक) (प्रतिशत में)
(ए) सामान्य सेवाएं		16.15	17.00	16.79	3.96
प्रमुख भिन्नता वाले शीर्ष	i रक्षा सेवाएँ- नौसेना	0.26	0.32	0.31	19.23
	ii रक्षा सेवाएँ-वायु सेना	0.34	0.46	0.47	38.24
(बी) सामाजिक सेवाएं		2.15	2.05	2.14	-0.47
प्रमुख भिन्नता वाले शीर्ष	चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	0.41	0.36	0.37	-9.76
	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	0.17	0.16	0.15	-11.76
(सी) आर्थिक सेवाएँ		10.40	12.51	12.33	18.56
प्रमुख भिन्नता वाले शीर्ष	इंडस्ट्रीज	0.95	1.77	1.84	93.68
	अन्य संचार सेवाएँ	0.10	0.24	0.48	380.00
(डी) अनुदान सहायता और अंशदान		6.24	6.20	6.58	5.45
राजस्व व्यय (ए+बी+सी+डी)		35.08	37.91	37.84	7.87

स्रोत: बजट अनुमान के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण 2022-23, संशोधित अनुमान के लिए 2023-24 और वास्तविक आंकड़ों के लिए यूजीएफए 2022-23।

## अनुलग्नक 2.6

(पैरा 2.5 ड देखें)

फोकस क्षेत्र पर व्यय के अनुमान की तुलना में वास्तविक का विश्लेषण  
(वित्तीय वर्ष 2022-23)

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र/वर्ष		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आंकड़े	अंतर (बजट अनुमान और वास्तविक (प्रतिशत में))
कृषि	आय	1,32,474.37	1,18,862.09	1,10,142.59	-16.86
	पूँजीगत	39.25	51.33	8.10	-79.36
	कुल	1,32,513.62	1,18,913.42	1,10,150.69	-16.88
शिक्षा	आय	1,66,609.71	1,62,213.12	1,50,132.08	-9.89
	पूँजीगत	18.01	18.01	2.94	-83.68
	कुल	1,66,627.72	1,62,231.13	1,50,135.02	-9.90
स्वास्थ्य	आय	1,11,026.06	1,03,735.40	98,366.99	-11.40
	पूँजीगत	5,632.57	3,582.14	3,050.82	-45.84
	कुल	1,16,658.63	1,07,317.54	1,01,417.81	-13.06
पेयजल एवं स्वच्छता	आय	1,53,021.29	73,778.02	71,810.50	-53.07
	पूँजीगत	438.83	310.12	181.42	-58.66
	कुल	1,53,460.12	74,088.14	71,991.92	-53.09
ग्रामीण विकास	आय	2,50,203.63	3,04,818.80	3,33,079.93	33.12
	पूँजीगत	..	...	...	...
	कुल	2,50,203.63	3,04,818.80	3,33,079.93	33.12

स्रोत: बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के लिए 2023-24 के अनुदान की मांग का सारांश, वास्तविक आंकड़ों के लिए 2024-25 के अनुदान की मांग का सारांश।

**अनुलग्नक 3.1**  
**(पैरा 3.1.1 देखें)**

**कर राजस्व जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया**

(₹ लाख करोड़ में)

		वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	अंतर
सकल कर राजस्व		27.09	30.54	
कर राजस्व जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं हुआ	कुल	15.83	21.30	5.47
	'विवादित'	12.03	12.22	0.19
	'अविवादित'	3.80	9.08	5.28
उस वर्ष के लिए कुल संग्रहित कर के प्रतिशत के रूप में प्राप्त नहीं किया गया।		58.43 प्रतिशत	69.74 प्रतिशत	

स्रोत: प्रकटीकरण विवरण डी1 - जुटाए गए लेकिन वसूल नहीं किए गए कर राजस्व क्रमशः वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त बजट 2023-24 और 2024-25 में शामिल हैं।



## अनुलग्नक 3.2

(पैरा 3.1.1 देखें)

कर राजस्व जुटाया गया लेकिन वसूल नहीं किया गया

(₹ लाख करोड़ में)

अवधि	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23	
	विवादित राशियाँ	अविवादित राशियाँ	विवादित राशियाँ	अविवादित राशियाँ
1 वर्ष से अधिक किन्तु 2 वर्ष से कम	6.99	2.15	6.59	4.23
2 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम	3.80	1.36	4.20	2.13
5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम	0.89	0.17	1.05	1.29
10 वर्ष से अधिक	0.35	0.12	0.38	1.43
कुल	12.03	3.80	12.22	9.08
कुल योग (विवादित राशि + अविवादित राशि)	15.83		21.30	

स्रोत: प्रकटीकरण विवरण डी1 - जुटाए गए लेकिन वसूल नहीं किए गए कर राजस्व क्रमशः वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त बजट 2023-24 और 2024-25 में शामिल हैं।



शब्दावली



## शब्दावली

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)	संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा जाता है। प्राप्तियों और व्यय को तीन भागों में दिखाया जाता है जिसमें सरकारी खाते रखे जाते हैं, अर्थात् (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि, और (iii) लोक लेखा।
बजट एक नज़र	यह दस्तावेज़ कर राजस्व, अन्य प्राप्तियों और केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को हस्तांतरित संसाधनों के विस्तृत विवरण के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों को संक्षेप में दर्शाता है। यह दस्तावेज़ सरकार के घाटे को भी दर्शाता है।
भारत की समेकित निधि	भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोषीय बिल जारी करके जुटाए गए सभी ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "भारत की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि का निर्माण करेंगी।
लोक लेखा	भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में जमा किए गए धन के अलावा अन्य सभी लोक निधि संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अनुसार भारत के लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। ये वे धन हैं जिनके संबंध में सरकार बैंकर की तरह काम करती है।
वित्त लेखा	वित्त लेखे प्राप्तियों और संवितरणों के लेखों को राजस्व और पूंजीगत लेखों द्वारा प्रकटित वित्तीय परिणामों, लोक ऋण के लेखों तथा लेखों में दर्ज शेषों से गणना की गई देनदारियों और परिसंपत्तियों के साथ प्रस्तुत करते हैं।
राजकोषीय नीति	किसी सरकार की राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी राजस्व बढ़ाने और सरकारी व्यय करने से होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय और संसाधन प्रबंधन जिम्मेदारियों का निर्वहन कितनी अच्छी तरह किया गया है।
सकल घरेलू उत्पाद	सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश की सीमाओं के भीतर विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिसकी गणना आमतौर पर वार्षिक आधार पर की जाती है। इसमें सभी निजी और सार्वजनिक उपभोग, सरकार के व्यय, निवेश और निर्यात घटाए गए आयात शामिल हैं जो किसी निर्धारित क्षेत्र में होते हैं। जीडीपी को निर्दिष्ट आधार वर्ष के संदर्भ में स्थिर कीमतों पर और वर्तमान कीमतों पर भी काम

	किया जाता है (जिसमें मुद्रास्फीति या समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि के कारण कीमतों में परिवर्तन शामिल हैं)।
<b>गारंटी</b>	संविधान का अनुच्छेद 292 संघ की कार्यपालिका शक्ति को भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, गारंटी देने तक विस्तारित करता है, जैसा कि संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
<b>राजस्व घाटा</b>	राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का आधिक्य।
<b>राजस्व व्यय</b>	रखरखाव, मरम्मत, रखरखाव और संचालन व्यय पर शुल्क, जो परिसंपत्तियों को चालू हालत में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं और संगठन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए जाने वाले अन्य सभी व्यय, जिसमें स्थापना और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और अन्य संस्थाओं को दिए गए अनुदान को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है, भले ही कुछ अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हों।
<b>राजस्व प्राप्तियां</b>	इनमें सरकार द्वारा लगाए गए कर और शुल्क की आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज और लाभांश, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
<b>प्रभावी राजस्व घाटा</b>	प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के बीच का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय (राजस्व खाते पर) और राजस्व प्राप्तियों में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान को घटाकर प्राप्त अंतर के रूप में समझा जा सकता है, जिसे राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।
<b>पूंजीगत व्यय</b>	पूंजीगत प्रकृति के व्यय को मोटे तौर पर ऐसे व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो या तो भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाने या आवर्ती देयताओं को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है।
<b>पूंजीगत प्राप्ति</b>	पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा उठाए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार और विदेशी सरकारों/संस्थाओं से लिए गए ऋण शामिल हैं। इसमें सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली और सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय भी शामिल है, जिसमें पीएसयू में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त आय भी शामिल है।
<b>राजकोषीय घाटा</b>	एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की समेकित निधि से ऋण की चुकोती को छोड़कर कुल संवितरण का ऋण प्राप्तियों को छोड़कर निधि में कुल प्राप्तियों पर आधिक्य।

बाह्य ऋण	सरकार द्वारा विदेशी सरकारों और विदेशी वित्तीय संस्थाओं से लिया गया द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण, अधिकतर विदेशी मुद्रा में।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत में लिए गए ऋण शामिल हैं। यह भारत के समेकित कोष में लिए गए और जमा किए गए ऋणों तक ही सीमित है।
ऋण और अग्रिम	इसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, विदेशी सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं।
लोक ऋण	भारत की समेकित निधि में आंतरिक और बाह्य स्रोतों से लिए गए सरकारी ऋण को लोक ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है।







© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/pt/delhi/hi/page-pt-delhi-union-reports>

